राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

संख्या-ई.सं. 3003/जी.एस.
दिनांकः 28/12/2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांकः १६६-६७/सम्बद्धता/२००५ दिनांक २६-०७-२००५ तथा पत्रांक १६८-६६/सम्बद्धता/२००५ दिनांक २६-०७-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७(२) के अधीन चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती को स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, कृषि रसायन, उद्यान विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, भूमि संरक्षण कृषि अभियन्त्रण एवं शस्य विज्ञान विषयों में तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं म० इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१.०७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृत सहर्ष प्रदान कर दी है।

१- महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(६२)२००२, दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- प्रबन्धक/प्राचार्य, चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रबन्धक
... सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
...र, पाण्डव नगर-बस्ती